

जिलाधिकारी महोदय, बाँदा
की तहसील अतर्रा की
प्रस्तावित मूल्यांकन सूची,
प्रभावी माह – अगस्त 2013 से

कार्यालय जिलाधिकारी, बांदा।

संख्या :

/स्टाम्प लिपिक-2013

दिनांक :

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम 4 के अधीन जनपद.....में उप निबन्धक.....के क्षेत्राधिकारी में स्थित सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्य निर्धारण हेतु संलग्न सूची दिनांक.....के प्रभावी की जाती है। इस सूची के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय :-


1. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर स्टाम्प प्रभार्यता की गणना की जानी है, में न्यूनतम मूल्य की गणना इसी सूची के किस भाग के किस पृष्ठ के किस क्रमांक व कालम के अनुसार की गयी है, का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। यह सूचना स्टाम्प प्रभार्यता को प्रभावित करने वाली सूचना मानी जायेगी।
2. विलेख में अंकित सम्पत्ति की चौहद्दी में यदि कोई मार्ग है तो उस मार्ग की चौड़ाई तथा मार्ग के प्रचलित नाम का उल्लेख भी करना अनिवार्य होगा।
3. कृषक भूमि के अन्तरण विलेख के साथ उस सम्पत्ति के अद्यावधिक खसरे व खतौनी या किसान बही की सुसंगत अंश की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. विलेख में अंकित सम्पत्ति, जिसका निकास किसी सड़क पर हो, के न्यूनतम मूल्य की गणना उस सड़क पर स्थित सम्पत्ति की सुसंगत दर के अनुसार ही किया जायेगा।
5. जिस गैर कृषक सम्पत्ति के सामने पार्क हो तो उसके न्यूनतम मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर की जायेगी। जिस गैर कृषक सम्पत्ति की सीमाओं में एक से अधिक मार्ग हो, ऐसी सम्पत्ति के न्यूनतम मूल्य की गणना अधिक मूल्य दर वाले मार्ग की निर्धारित की गयी दर से करने के पश्चात 10 प्रतिशत मूल्य बढ़ा कर दी जायेगी। यदि उपरोक्त दोनों परिस्थितियां विद्यमान हो तो ऐसी सम्पत्ति के मूल्य की गणना निर्धारित दर से करने के पश्चात 20 प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर की जायेगी।


*
निबन्धक
सहायक
जिला-बांदा


सहायक निबन्धक
निबन्धक, जिला-बांदा

20.7.2013
(विपब बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बांदा।

6. प्रत्येक ऐसे विलेख, जिसमें सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होता है, के साथ उस सम्पत्ति पर पहुंचने का मार्गदर्शक मानचित्र (नक्शा नजरी), तथा सम्पत्ति पर निर्माण होने की दशा में, निर्माण का पूर्ण मानचित्र, जिसमें निर्मित क्षेत्र, विलेख के पक्षकारों के नाम, पिता/पति का नाम, मकान नम्बर, गली मोहल्ला व डाक का पूरा पता तथा मानचित्र को ड्राफ्ट करने वाले का नाम पता व मोबाइल नं० अंकित करना अनिवार्य होगा। यदि प्रश्नगत सम्पत्ति को पूर्व कोई इकरारनामा हुआ है तो उसके रजिस्ट्रेशन का पूर्व विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा।
7. वाणिज्यिक भवनों के किराये की जो दरें इस सूची में निर्धारित की गयी हैं। दरें भूतल पर स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की हैं। वाणिज्यिक भवन की स्थिति बेसमेन्ट में या प्रथम तल पर होने की दशा में किराये की उक्त निर्धारित दर के प्रतिशत तथा द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित इकाई हेतु उक्त निर्धारित दर 80 प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम मूल्य की गणना की जायेगी। तृतीय तल या उससे अधि कतल पर स्थिति की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना उक्त सूची में निर्धारित भूतल स्थित किराये की दर के 70 प्रतिशत के आधार पर की जायेगी।
8. सडकों के किनारे स्थिति तथा आबादी के निकट व अकृषक घोषित किये गये गाटा नम्बरानों की सूची इस रेट लिस्ट का भाग है तथा प्रत्येक तहसीलदार के द्वारा समय-समय पर इसी सूची को अद्यावधिक प्रमाणित प्रति सम्बन्धित उप निबन्धक को उपलब्ध करायी जाये तो इस रेट लिस्ट का भाग होगी।
9. जिन क्षेत्रों में किसी अधिनियम के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है उसके सम्बन्ध में विलेख में यह तथ्य लिखना अनिवार्य होगा कि सम्बन्धित सम्पत्ति अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होने की सीमा के अन्तर्गत है अथवा बाहर है।
10. एक मंजिल से अधिक परन्तु तीन मंजिल से कम मंजिल के भवन के अलग-अलग तल के अन्तरण विलेख में दो मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में अविभाजित भूमि का अंश 50 व 50 प्रतिशत होगा तथा तीन मंजिल की दशा में प्रत्येक मंजिल में भूमि का अविभाजित अंश 33-3 प्रतिशत होगा। इसी प्रकार किसी भवन के किसी तल की छत


 अधिकारी
 विभागाध्यक्ष


 अधिकारी
 विभागाध्यक्ष


 30.7.2013
 (विजय बहादुर सिंह)
 अपर निताधिकारी (वि०/रा०)
 बीदा।

के अन्तरण विलेख में छत के न्यूनतम मूल्य की गणना सम्बन्धित स्थल की अकृषक भूमि की निर्धारित दर के अनुसार निम्न प्रकार की जायेगी :-

क- भूतल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/2 भाग से

ख- प्रथम तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/3 भाग से

ग- द्वितीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/4 भाग से

घ- तृतीय तल की छत के विक्रय पर निर्धारित दर के 1/5 भाग से


उपरोक्त प्रकार से प्रत्येक तल के ऊपर की छत के विक्रय पर निर्धारित अकृषक भूमि की दर का एक भाग बढ़ता जायेगा अर्थात् चतुर्थ तल की छत हेतु 1/6, पंचम तल की छत हेतु 1/7 आदि।


11. मिट्टी निकासी हेतु मिट्टी की बिक्री की दर...40...रुपये प्रति घनमीटर निर्धारित की जायेगी।

12. नगरीय क्षेत्र के अधीन अनीन वाले राजस्व ग्राम तथा अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकासशील ग्राम जिनकी सूची नीचे दी गयी है के ऐसी कृषि भूमि जो किसी सड़क पर स्थित है अथवा आबादी से सटी हुये गाटा नम्बर की है, की जो दरें सम्बन्धित सूचियों में निर्धारित की गयी है वे 0-20 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के अन्तरण हेतु निर्धारित है। 0-20 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्रफल के अन्तरण से सम्बन्धित विलेख में न्यूनतम मूल्य की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी।

श्रेणी	क्षेत्रफल	न्यूनतम मूल्य
1	0-05 हेक्टेयर तक	इसी सूची के भाग-2 में दी गयी अकृषक भूमि की दर, से निकाला गया न्यूनतम मूल्य।
2	0-05 हे० से अधिक परन्तु 0-10 हे० तक	0-05 हे० तक का उपरोक्त श्रेणी-1 के अनुसार निकाले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि का इस सूची के भाग-2 में दी गयी अकृषक भूमि की दर के 50 प्रतिशत से निकाले गये मूल्य का योग




 आयुक्त अहामिराज
 विभाजन, जिला-बीकानेर


 30.7.2013
 (विजय बहादुर सिंह)
 अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
 बीकानेर।

3	01-10हे0से अधिक परन्तु 0-20हे0तक	0-10हेक्टर तक का उपरोक्त श्रेणी-2 के अनुसार निकले गये न्यूनतम मूल्य तथा शेष भूमि का इससूची के भाग-2 में दी गयी अकृषक भूमि की दर के 25 प्रतिशत से निकले गये मूल्य का योग
---	--	--

सूची विकासशील राजस्व ग्राम - 1-खुरहण्ड,2-छिबांव,3-दुबरिया 4-बदौसा 5-बरछा (ब),6-महुआ, 7-अतर्रा टा0ए0,8-अतर्रा रुरलख 9-आऊ, 10-ओरन रुरल,11-अनथुवा, 12- खम्हौरा,13- तुर्रा,14-नगवारा,15.दिखितवारा ,16.बिसण्डा रुरल 17. बसरेही 18.महोतरा 19. सेमरिया कुशल।

13- अन्तरित सम्पत्ति मे बोरवेल या कुआं नल आदि होने पर उसका मूल्य अलग से आंकलित किया जायेगा बोरवचेल का मूल्य 1200000प्रतिबोरवेल होगा तथा कुंआ का मूल्य प्रति कुंआ 60000 तथा नल का मूल्य प्रति नल 20000 होगा ।

14- अन्तरित सम्पत्ति मे फलदार या बिना फलदार के वृक्ष होने की दशा मे प्रति वृक्ष उनकी उम्र के अनुसार उनका मूल्य निम्नवत होगा :-

क्र0सं0	वृक्षों की श्रेणी	10 वर्ष से कम आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष	10 वर्ष से अधिक आयु के वृक्ष का न्यूनतम मूल्य प्रति वृक्ष
1	सागौन	15000.00	25000.00
2	शीशम	10000.00	18000.00
3	खैर,कटहल,नीम	7500.00	12500.00
4	जमुन	2500.00	6500.00
5	यूकिलिप्टिस	5000.00	9000.00
6	आम, महुआ,	3000.00	6000.00

★
उप-निबंध
करा
पिवा-बाँदा

सहायक महानिरीक्षक
निबंधम, पिवा-बाँदा


30.7.2013
(विजय बहादुर सिंह)
अप. जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बाँदा।

	अशोक		
7	गूलर, सेमर, इमली, पीपल, बरगद व अन्य प्रजाति	2000.00	4000.00

15. प्रस्तुत प्रलेखों के पंजीयन हेतु उक्त निर्धारित मूल्यदर न्यूनतम है वास्तविक बाजारी मूल्य इससे अधिक हो सकता है, जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार स्टाम्प शुक्ल देय होगा।
16. भारतीय स्टाम्प अधिनियम की सुसंगत धारा-27 का सम्यक अनुपालन करते हुए प्रलेख में निम्नवत तथ्य वांछनीय है:-
- (क) अन्तरणीय कृषि भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में तथा आवासीय/व्यवसायिक भूमि का क्षेत्रफल वर्गमीटर में लिखना अनिवार्य है।
- (ख) रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 21 के अन्तर्गत जहां सम्पत्ति कृषि भूमि हो वहां उसके साथ मानचित्र भी संलग्न हो यह आवश्यक नहीं है कि वह पैमाने पर हो उसमें कृषि भूमि की 200 मीटर त्रिज्यान्तर्गत समस्त सम्पत्तियां पूर्ण विवरण के साथ दर्शायी जायेगी।
- (ग) नगरीय क्षेत्रों की विक्रीत सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्तरण विलेखों के साथ सम्बन्धित सम्पत्ति की पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ ए 4 कागज पर चस्पा कर विलेख में संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा।
- (घ) किसी लेखपत्र द्वारा विक्रीत ऐसी कृषि भूमि जो सड़क पर है और आबादी से भी संलग्न है का मूल्यांकन आबादी के समीप कृषि भूमि हेतु निर्धारित दर में 25 प्रतिशत बढ़ाकर किया जायेगा बशर्ते प्रश्नगत भूमि का केवल कृषि प्रयोजन की भूमि होना पक्षकारों द्वारा स्थापित कर दिया जाये। अर्थात् य सि करने का दायित्व पक्षकारों का होगा कि ऐसी विक्रीत भूमि आवासी/व्यवसायिक प्रयोजन की (वर्तमान में) नहीं है।



राज्य महासचिव


30.7.2013
(विजय बहादुर सिंह)
सहायक अधिकारी (वि०/त०)

- 15 विक्रीत सम्पत्ति की 50 मीटर त्रिज्या में ब्यवसायिक गतिविधियां अथवा बाजार होने पर उसका मूल्यांकन कुल मूल्यांकन पर 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी कर मूल्यांकन किया जायेगा। ब्यवसायिक गतिविधियों से तात्पर्य कम से कम 5 दुकानें अथवा मेला, हाट व बाजार से है।
- 16 एक ही सड़क जो भिन्न-भिन्न मोहल्लो से सम्बन्धित हो, की दरों में भिन्नता होने पर अधिकतम दर से मूल्यांकित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि एक लेखपत्र द्वारा बिक्रीत सम्पत्ति जो दो मौजों/मोहल्लो की सीमाओं में पड़ती हो और आपस में सटी हो तो उसका मूल्यांकन अधिकतम दर से किया जायेगा।
- 17 गैर उल्लिखित मोहल्ला जिसके सम्बन्ध में मूल्य-दर निर्धारित करना छूट गया हो, उल्लिखित नहीं है उनका मूल्यांकन समीपवर्ती मोहल्ले के निर्धारित मूल्य-दर से कम पर अनुमन्य नहीं होगा।
- 18 यदि कोई अन्तरित सम्पत्ति आबादी एवं सड़क दोनों से लगी हुयी है तो उसका मूल्यांकन आबादी के लिये निर्धारित दर से 25 प्रतिशत बढ़ाकर मूल्यांकन किया जायेगा।

*
 मूल्यांकन अधिकारी
 जिला-...

30.7.2013
 (विजय महानुर सिंह)
 अवर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
 बीकानेर।

(7)

भाग-1

प्रारूप-1

रजिस्ट्रीकरण उप जिला अतर्रा, जिला-बांदा में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में -

क-नगरीय क्षेत्र

नगरीय क्षेत्र का नाम--(नगर निगम अतर्रा नगर पालिका परिषद.....छावनी क्षेत्र.....या औद्योगिक क्षेत्र....)				
क्र०सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण यदि कोई हो तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या वार्ड का नाम	पुयुक्त किये जाने वाले सौफ्टयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
1	अतर्रा टाउन एरिया			1001
2	आजाद नगर		आजाद नगर	0001
3	अत्रिनगर		अतिनगर	0002
4	अम्बेडकर नगर		अम्बेडकर नगर	0003
5	कृष्णा नगर		कृष्णा नगर	0004
6	गांधी नगर		गांधी नगर	0005
7	तिलक नगर		तिलक नगर	0006
8	तुलसीनगर		तुलसीनगर	0007
9	दामूगंज		दामूगंज	0008
10	बजरंग नगर		बजरंग नगर	0009
11	बाउर बाजार		बाउर बाजार	0010
12	ब्रम्ह नगर		ब्रम्ह नगर	0011
13	भागवत नगर		भागवत नगर	0012
14	भवानीगंज		भवानीगंज	0013
15	मूसानगर		मूसानगर	0014
16	राजनगर		राजनगर	0015
17	राजेन्द्र नगर		राजेन्द्र नगर	0016
18	लाल थोक		लाल थोक	0017
19	लखन कालोनी		लखन कालोनी	0018
20	संजय नगर		संजय नगर	0019
21	सुभाष नगर		सुभाष नगर	0020
22	शास्त्री नगर		शास्त्री नगर	0021
23	सुलक थोक		सुलक थोक	0022
24	सुदामापुरी		सुदामापुरी	0023
25	शिवपुरी		शिवपुरी	0024
26	सिविल लाइन		सिविल लाइन	0025

(9)

भाग-1

प्रारूप-1

रजिस्ट्रीकरण उप जिला अतर्रा, जिला-बांदा में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

ख-अर्धनगरीय क्षेत्र

उप जिला अतर्रा के अधीन अर्धनगरीय क्षेत्र (विकास प्राधिकरण.....आवास विकास परिषद या नगर क्षेत्र की दो कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र

क्र०सं०	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण यदि कोई हो तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या हल्का का नाम	पुयुक्त किये जाने वाले सौपटयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
1	अतर्रा रुरल		अर्धनगरीय	1002
2	आऊ		अर्धनगरीय	1003
3	ओरन रुरल		अर्धनगरीय	1004
4	अनथुवा		अर्धनगरीय	1005
5	खम्हौरा		अर्धनगरीय	1006
6	तुर्रा		अर्धनगरीय	1007
7	नगवारा		अर्धनगरीय	1008
8	दिखितवारा		अर्धनगरीय	1009
9	बिसण्डा रुरल		अर्धनगरीय	1010
10	बसरेही		अर्धनगरीय	1011
11	महोतरा		अर्धनगरीय	1012
12	सेमरिया कुशल		अर्धनगरीय	1013

*
अ-निर्वाहक

अतर्रा
जिला-बांदा

अध्यापक
नियन्त्रक, जिला-बांदा

30.7.2013
(विजय महापुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)

बांदा

भाग-1

प्रारूप-1

रजिस्ट्रीकरण उप जिला अतर्रा जिला-बांदा में नगरीय क्षेत्र, अर्धनगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र का वर्गीकरण वर्णानुक्रम में

ग-ग्रामीण क्षेत्र

उप जिले के अधीन आने वाले ग्रामीण क्षेत्र				
क्र०सं 0	राजस्व ग्राम या मोहल्ले का नाम	मोहल्ले या राजस्व ग्राम की सीमा निर्धारण सम्बन्धी अन्य विवरण यदि कोई हो तो (यथा उप मोहल्ला, पट्टी या मजरा का नाम उल्लिखित किया जाय)	परगना या हल्का का नाम	पुयुक्त किये जाने वाले सौफ्टयर में आवंटित किया गया वी-कोड
1	2	3	4	5
1	अमंवा		अतर्रा	1014
2	ओरहा		अतर्रा	1015
3	अधरोरी		अतर्रा	1016
4	अजीतपरा		अतर्रा	1017
5	इटरा खुर्द		अतर्रा	1018
6	इटरा मिलौली		अतर्रा	1019
7	उतरवां		अतर्रा	1020
8	उदयपुर		अतर्रा	1021
9	उमरेहण्डा		अतर्रा	1022
10	ऐचवारा		अतर्रा	1023
11	कुरुहू		अतर्रा	1024
12	कुल्लूखेडा		अतर्रा	1025
13	कुसभा		अतर्रा	1026
14	कन्दौहरा		अतर्रा	1027
15	करगेहना		अतर्रा	1028
16	खटौरा		अतर्रा	1029
17	खुरहण्ड		अतर्रा	1030
18	खेरिया		अतर्रा	1031
19	गजपतीपुर कला		अतर्रा	1032
20	गजपतीपुर खुर्द		अतर्रा	1033
21	गडांव		अतर्रा	1034
22	गुमाई		अतर्रा	1035
23	धुरौडा		अतर्रा	1036
24	घूरी		अतर्रा	1037
25	चकअमहार		अतर्रा	1038

26	चकमोचहा		अतर्रा	1039
27	चकटकुली		अतर्रा	1040
28	चन्दौर		अतर्रा	1041
29	चन्द्रायल		अतर्रा	1042
30	चौसड		अतर्रा	1043
31	छततूपुर कला		अतर्रा	1044
32	छिबांव		अतर्रा	1045
33	जखनी		अतर्रा	1046
34	जबरापुर		अतर्रा	1047
35	जमरेही		अतर्रा	1048
36	डढवामानपुर		अतर्रा	1049
37	डमनी		अतर्रा	1050
38	डोगरी		अतर्रा	1051
39	तकुली		अतर्रा	1052
40	तररूमा		अतर्रा	1053
41	तेन्दुरा		अतर्रा	1054
42	तेरा (व)		अतर्रा	1055
43	तिन्दुही		अतर्रा	1056
44	थनैर		अतर्रा	1057
45	दुबरिया		अतर्रा	1058
46	दुरईमाफी		अतर्रा	1059
47	नदेना		अतर्रा	1060
48	नाई		अतर्रा	1061
49	नगनेधी		अतर्रा	1062
50	नादनमऊ		अतर्रा	1063
51	प्रतापपुर		अतर्रा	1064
52	पवई		अतर्रा	1065
53	पुनाहुर		अतर्रा	1066
54	पाहाडी खुर्द		अतर्रा	1067
55	पारा		अतर्रा	1068
56	पालपुर		अतर्रा	1069
57	पौहार		अतर्रा	1070
58	पिडखर		अतर्रा	1071
59	बघेलाबारी		अतर्रा	1072
60	बदौसा		अतर्रा	1073
61	बनई		अतर्रा	1074
62	बम्बुरा		अतर्रा	1075
63	बेरहण्डा		अतर्रा	1076

[Handwritten signature]
2013

64	बरछा ब		अतर्रा	1077
65	बरछा उडिया		अतर्रा	1078
66	बरसडा बुजुर्ग		अतर्रा	1079
67	बरसडा खुर्द		अतर्रा	1080
68	बल्लान		अतर्रा	1081
69	बुढौली		अतर्रा	1082
70	बहोरवापुरवा		अतर्रा	1083
71	बाधा		अतर्रा	1084
72	बीरगपुर		अतर्रा	1085
73	बीरीहसहण्ड		अतर्रा	1086
74	बिगहरना		अतर्रा	1087
75	बिलगांव		अतर्रा	1088
76	भदावल		अतर्रा	1089
77	भुसासी		अतर्रा	1090
78	मकरी		अतर्रा	1091
79	मढपारा		अतर्रा	1092
80	महुवा		अतर्रा	1093
81	महुवा		अतर्रा	1094
82	महुवा		अतर्रा	1095
83	लखनपुर		अतर्रा	1096
84	लमरेहटा		अतर्रा	1097
85	लोधीरा		अतर्रा	1098
86	साहपुरसानी		अतर्रा	1099
87	शिवहद		अतर्रा	1100
88	सिकलोढी		अतर्रा	1101
89	सहेवा		अतर्रा	1102
90	सेमरिया जदीद		अतर्रा	1103
91	सेमरिया मिर्दहा		अतर्रा	1104
92	संग्रामपुर		अतर्रा	1105
93	सिहपुरमाफी		अतर्रा	1106
94	हरतम		अतर्रा	1107
95	हडहामाफी		अतर्रा	1108

*
अ-निर्वाचक
अतर्रा
बिना-बाँक

अ-निर्वाचक
अतर्रा, बिना-बाँक

30.7.2013
(विजय बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बौदा।

(11)

भाग-2

प्रारूप-2

उपजिला अतर्रा जिला बादा के अधीन विभिन्न भागों (नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र) में वर्णानुक्रम में अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर (बेसिक वेल्यू)

सॉफ्टयर में आवंटित किया गया वी-कोड	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	परगना या वार्ड या हल्का का नाम	नगरीय, अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र	अकृषक भूमि की दरें प्रति वर्गमीटर
1	2	3	4	5
0001	आजाद नगर	अतर्रा	नगरीय	7000
0002	अत्रि नगर	"	नगरीय	7000
0003	अम्बेडकर नगर	"	नगरीय	4500
1001	अतर्रा न0पा0 (अन्दर)	"	नगरीय	4000
1002	अतर्रा रुरल	"	अर्धनगरीय	2500
1004	ओरन रुरल	"	अर्धनगरीय	2500
1003	आऊ	"	अर्धनगरीय	2500
1014	अमदा	"	ग्रामीण	700
1015	ओरहा	"	ग्रामीण	700
1005	अनथुवा	"	अर्धनगरीय	2500
1016	अधरोरी	"	ग्रामीण	700
1017	अजीतपुरा	"	ग्रामीण	700
1018	इटरा खुर्द	"	ग्रामीण	700
1019	इटरा मिलौली	"	ग्रामीण	700
1020	उतरवां	"	ग्रामीण	700
1021	उदयपुर	"	ग्रामीण	700
1022	उमरेहण्डा	"	ग्रामीण	700
1023	ऐचवाश	"	ग्रामीण	700
0004	कृष्णा नगर	"	नगरीय	700
1024	कुरुहू	"	ग्रामीण	700
1025	कुल्लूखेडा	"	ग्रामीण	700
1026	कुसमा	"	ग्रामीण	700
1027	कन्दौहरा	"	ग्रामीण	700
1028	करगेहना	"	ग्रामीण	700
1029	खटौरा	"	ग्रामीण	700
1006	खम्हौरा	"	अर्धनगरीय	2500
1030	खुरहण्ड	"	ग्रामीण	2500
1031	खेरिया	"	ग्रामीण	700
0005	गांधी नगर	"	नगरीय	4500

उप-निर्वाहक
अतर्रा
बादा

विजय महानिरीक्षक
गिरमधन, जिला-बादा

(विजय बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बादा।
30.7.2013

1032	गजपतीपुर कला	"	ग्रामीण	700
1033	गजपतीपुर खुर्द	"	ग्रामीण	700
1034	गडांव	"	ग्रामीण	700
1035	गुमाई	"	ग्रामीण	700
1036	घुरौडा	"	ग्रामीण	700
1037	धूरी	"	ग्रामीण	700
1038	चकअमहार	"	ग्रामीण	700
1039	चकभोयहा	"	ग्रामीण	700
1040	चकटकुली	"	ग्रामीण	700
1041	चन्दौर	"	ग्रामीण	700
1042	चन्द्रायल	"	ग्रामीण	700
1043	चौसड (हरतपुर खुर्द)	"	ग्रामीण	700
1044	छततूपुर कला	"	ग्रामीण	700
1045	छिवांव	"	ग्रामीण	2500
1046	जखनी	"	ग्रामीण	700
1047	जबरापुर	"	ग्रामीण	700
1048	जमरेही	"	ग्रामीण	700
1049	डढवाभानपुर	"	ग्रामीण	700
1050	डभनी	"	ग्रामीण	700
1051	डोगरी	"	ग्रामीण	700
0006	तिलक नगर	"	नगरीय	4500
0007	तुलसी नगर	"	नगरीय	6000
1052	तकुली	"	ग्रामीण	700
1053	तरसूमा	"	ग्रामीण	700
1007	तुर्दा	"	अर्द्धनगरीय	2500
1054	तेन्दुरा	"	ग्रामीण	700
1055	तेरा (ब)	"	ग्रामीण	700
1056	तिन्दुही	"	ग्रामीण	700
1057	थनैर	"	ग्रामीण	700
0008	दामूगंज	"	नगरीय	7000
1058	दुबरिया	"	ग्रामीण	2500
1059	दुरईमाफी	"	ग्रामीण	700
1009	दिखितवारा	"	अर्द्धनगरीय	2500
1060	नदना	"	ग्रामीण	1200
1061	नाई	"	ग्रामीण	700
1062	नगनेधी	"	ग्रामीण	1200
1008	नगवारा	"	अर्द्धनगरीय	2500

*
 उप-निर्वाह
 अंतरा
 विद्या-

मनी
 महाका महागरीय
 निराधन, विद्या-महा

30.7.2013
 (विजय बहादुर सिंह)
 अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
 बाँदा।

		(14) ..	ग्रामीण	700
1063	नांदनगऊ	"	ग्रामीण	700
1064	प्रतापपुर	"	ग्रामीण	700
1065	पयई	"	ग्रामीण	900
1066	पुनाहुर	"	ग्रामीण	700
1067	पाहाडी खुर्द	"	ग्रामीण	700
1068	पारा	"	ग्रामीण	700
1069	पालपुर	"	ग्रामीण	700
1070	पौहार	"	ग्रामीण	700
1071	पिडखर	"	ग्रामीण	700
0009	बजरंग नगर	"	नगरीय	6000
0010	बाउर बाजार	"	नगरीय	7000
0011	ब्रम्हनगर	"	नगरीय	6000
1072	बघेलाबारी	"	ग्रामीण	700
1073	बदौरा	"	ग्रामीण	2500
1074	बगई	"	ग्रामीण	700
1075	बम्बुरा	"	ग्रामीण	700
1076	बेरहण्डा	"	ग्रामीण	700
1077	बरछा ब	"	ग्रामीण	2500
1078	बरछा डडिया	"	ग्रामीण	700
1079	बरसडा बुजुर्ग	"	ग्रामीण	700
1080	बरसडा खुर्द	"	ग्रामीण	700
1081	बल्लान	"	ग्रामीण	700
1082	बुढौली	"	ग्रामीण	700
1083	बहोरवापुरवा	"	ग्रामीण	700
1011	बसरेही	"	अर्द्धनगरीय	2500
1084	बाधा	"	ग्रामीण	700
1085	बीरमपुर	"	ग्रामीण	700
1086	बीरीहसहण्ड	"	ग्रामीण	700
1087	बिगहरना	"	ग्रामीण	700
1088	बिलगांव	"	ग्रामीण	900
1010	बिसण्डा	"	अर्द्धनगरीय	2500
1010	बिसण्डा रुरल	"	अर्द्धनगरीय	2000
0012	भागवत नगर	"	नगरीय	4500
0013	भवानीगंज	"	नगरीय	4500
1089	भदावल	"	ग्रामीण	700
1090	भुसासी	"	ग्रामीण	700
0014	मूसा नगर	"	नगरीय	4500

अतः
अतिरिक्त

अतिरिक्त अधिकारी (वि०/रा०)
अतिरिक्त अधिकारी (वि०/रा०)

30.7.2023
(विजय बहादुर सिंह)
अतिरिक्त अधिकारी (वि०/रा०)
बॉडी।

(15)

1091	भकरी	"	ग्रामीण	700
1092	गढवारा	"	ग्रामीण	700
1093	महुटा	"	ग्रामीण	700
1094	गहुया	"	ग्रामीण	700
1012	महोतरा	"	अर्द्धनगरीय	2500
0016	राजेन्द्र नगर	"	नगरीय	6000
0015	राज नगर	"	नगरीय	6000
1095	रहुसत	"	ग्रामीण	700
0017	लाल थोक	"	नगरीय	4500
0018	लखन कालोनी	"	नगरीय	7000
1096	लखनपुर	"	ग्रामीण	700
1097	लभरेहटा	"	ग्रामीण	700
1098	लोधौरा	"	ग्रामीण	700
0019	संजय नगर	"	नगरीय	6500
0020	सभाष नगर	"	नगरीय	6500
0023	संभाषपुरी	"	नगरीय	7000
0024	संभाषपुरी	"	नगरीय	4500
0021	शारत्री नगर	"	नगरीय	4500
0022	सूतक थोक	"	नगरीय	6000
0025	सिद्धिल लाइन	"	नगरीय	4500
1099	शाहपुरसानी	"	ग्रामीण	700
1100	शिवहद	"	ग्रामीण	700
1101	सिकलांठी	"	ग्रामीण	700
1102	सहेधा	"	ग्रामीण	700
1013	सेमरिया कुशल	"	अर्द्धनगरीय	2500
1103	सेमरिया जदीद	"	ग्रामीण	700
1104	सेमरिया मिर्दहा	"	ग्रामीण	700
1105	संग्रामपुर	"	ग्रामीण	700
1106	सिहपुरमाफी	"	ग्रामीण	700
1107	हस्तम	"	ग्रामीण	700
1108	हडहामाफी	"	ग्रामीण	700

अपर-निर्वाहक
अतरा
बिबा-बीबा

अपर-निर्वाहक
अतरा
बिबा-बीबा

20.07.2013
(विजय बहादुर सिंह)
अपर निताधिकारी (वि०/रा०)
बॉस।

प्रारूप-3

नगरीय एवं अर्धनगरीय क्षेत्र में मुख्य मार्गों के रोड सेगमेंट पर पड़ने वाले मौहल्ले या राजस्व ग्राम की अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की शिथिल की न्यूनतम दरें प्रति वर्ग मीटर

क-उप जिला अतर्रा जिला बांदा के अधीन नगरीय क्षेत्र पर मुख्य मार्गों पर अकृषक भूमि तथा वाणिज्य सम्पत्ति की न्यूनतम दर प्रति वर्गमीटर						
क्रम संख्या एवं रोड सेगमेंट का नाम कहा से कहा तक	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	अकृषक भूमि की दर	वाणिज्य सम्पत्ति की किराये की दर		
				दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1 राज मार्ग से रेलवे स्टेशन तक	वाउर बाजार लखन कालोनी		20000	300	180	200
2 राज मार्ग शान्ती धाम स्कूल से विसण्डा चौराहे तक	संजय नगर, भागवत नगर, गांधी नगर, अम्बेडकर नगर		22000	300	180	200
3 विसण्डा चौराहे से केन कैनाल नहर तक	वाउर बाजार, सुभाष नगर, लखन कालोनी, ब्रम्हनगर, आजाद नगर, अत्रिय नगर		22000	300	180	200
4 केन कैनाल से खम्हौरा बाईपास तक	नारद नगर		20000	300	180	200
5 नरैनी रोड चौराहे से नगर पालिका तक	सुभाष नगर, दामूगंज, भवानी गंज, राजेन्द्र नगर		20000	300	180	200
6 नगर पालिका से गर्मन पुरवा नागर पालिका सीमा तक	सिविल लाइन		15000	300	180	200

Wm,
20.7.2013

(17)

7 चूडी गली व तेल गली राष्ट्रीय मार्ग से नरैनी रोड तक	सुभाष नगर, तुलसी नगर		25000	300	180	200
8 बिसण्डा चौराहे से रेलवे क्रासिंग तक	बाउर बाजार, गांधी नगर, अम्बेडकर नगर		15000	300	180	200
9 रेलवे क्रासिंग से बिराण्डा रोड नहर तक	मूसा नगर, सुदामापुरी		13000	300	180	200
10 नरैनी रोड से गोखिया नहर तक	सिविल लाइन		8000	300	180	200
11 बिसण्डा रोड नहर से आऊ सीमा तक			12000	250	150	200
12 ओरन रोड रेलवे क्रासिंग से नहर रोड तक	मूसा नगर, कृष्णा नगर		9000	250	150	200
13 इलाहाबाद राजमार्ग से ओरन रोड बाईपास तक			9000	250	150	200

अ-मि.ब.स.
अतर्रा
खिन्ना-बाँदा

सहायक जिलाधिकारी
खिन्ना, जिला-बाँदा

30.7.2013
(विजय नगर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि.सं/रा.)
बाँदा।

ख-उप जिला अतर्रा जिला अतर्रा के अधीन नगरीय क्षेत्र अर्द्ध नगरीय पर मुख्य मार्गों पर अकृषक भूमि तथा वाणिज्य सम्पत्ति की न्यूनतम दर प्रति वर्गमीटर

क्रम संख्या एवं रोड सेगमेंट का नाम कहा से कहा तक	मौहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	प्रारूप-1 में आवंटित किया गया वी-कोड	अकृषक भूमि की दर	वाणिज्य सम्पत्ति की किराये की दर		
				दुकान	कार्यालय	गोदाम व अन्य
1	2	3	4	5	6	7
1 बांदा इलाहाबाद मार्ग तुरा बिसाहिर नाले से रसिन मोड अतर्रा सीमा तक	बदौसा, दुबरिया, बरछा ब	1070	8000	200	150	180
2 पौहार मार्ग में राष्ट्रीय मार्ग से रेलवे क्रॉसिंग तक	बदौसा	1070	7000	200	150	180
3 रेलवे क्रॉसिंग से प्राथमिक स्वास्थ्य तक	बदौसा	1070	6000	200	150	180
4 इलाहाबाद मार्ग से फतेहगंज मार्ग में 2 कि०मी० तक	बदौसा	1070	7000	200	150	180
5 बांदा इलाहाबाद मार्ग में सिबावं से खुरहण्ड प्राथमिक विद्यालय गांव तक	खुरहण्ड	1027	8000	200	150	180
6 खुरहण्ड गिरवां मार्ग पर कृषि उत्पादन मण्डीसमिति तक	खुरहण्ड	1027	7000	200	150	180
7 राष्ट्रीय मार्ग से रेलवे स्टेशन खुरहण्ड स्टेशन तक	खुरहण्ड	1027	8000	200	150	180
8 महुआ पशु चिकित्सालय से नहर तक	महुआ	1091	6000	200	150	180
9 रिलाइन्स टावर से बिसण्डा बस	बिसण्डा	1000				

10 बिसण्डा ओरन रोड में चेयरमैन के मकान तक	बिसण्डा	1009	10000	200	150	180
11 बिसण्डा बबेरु रोड पर मण्डी स्थल के दक्षिणी सिरा तक	बिसण्डा	1009	9000	200	150	180
12 बिसण्डा बांदा मार्ग पर बस स्टैण्ड चौराहे से पूर्व जू0हा0स्कू0 तक	बिसण्डा	1009	9000	200	150	180
13 ओरन रोड पर विल्हुआ पुरवा प्राथमिक वि0 चौक तक	ओरन	1003	7000	200	150	180
14 ओरन बिसण्डा रोड पर चौक से पाण्डेय फिलिंग स्टेशन तक	ओरन	1003	7000	200	150	180
15 ओरन सिंहपुर मार्ग पर चौक से रामशरन प्रकाश के मकान तक	ओरन	1003	7000	200	150	180
16 बबेरु रोड पर चौक से पानी टंकी तक	ओरन	1003	7000	200	150	180
17 रामलीला चौराहे से तिलहरदाई उ0मा0वि0 कमासिन रोड तक	ओरन	1003	7000	200	150	180
18 सिंहपुर रोड से भदावल कलिन्द नाले तक	ओरन	1003	6000	200	150	180
19 बीरी बिरहण्ड मार्ग मुख्य सड़क से रिलायन्स टावर तक	ओरन	1003	6000	200	150	180

(20)

प्रारूप-4

सभी प्रारूप में प्रारूप-2 व प्रारूप-3 में दी गयी दरों से भिन्न अन्य सभी प्रकार की कृषक तथा अकृषक भूमि की तथा वाणिज्यिक सम्पत्ति की दरें प्रति वर्गमीटर समस्त उप जिले के अधीन सम्पूर्ण नगरीय अर्धनगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र वर्णानुक्रम में की इंगित की जायेगी-

रूप-1 में आवंटित किया गया श्रेणी-कोड	मोहल्ले या राजस्व ग्राम का नाम	श्रेणी नगरीय अर्धनगरीय या ग्रामीण	अकृषक भूमि की न्यूनतम दर		वाणिज्यिक सम्पत्ति की किराये की दर	राजस्व ग्रामों में कृषक भूमि की दरें प्रति हेक्टर		
			03 मीटर या उससे अधिक 05 मीटर तक चौड़े रास्ते पर	05 मीटर से अधिक चौड़े रास्ते पर		सड़क पर स्थित भूमि	आबादी से सटी हुयी भूमि	लाख रु. में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001	आजाद नगर	नगरीय	9000	11000	300	असिंचित / सिंचित	असिंचित / सिंचित	असिंचित / सिंचित
0002	अत्रि नगर	नगरीय	9000	11000	300	22 / 27 लाख	24 / 29 लाख	18 / 20 लाख
0003	अम्बेडकर नगर	नगरीय	5500	7000	300			
1001	अतर्रा न0पा0 (आ0न0)	नगरीय	4500	5000	300			
1002	अतर्रा रुरल	अर्धनगरीय	3000	4000	200	22 / 27	24 / 29	18 / 20
1004	ओरन रुरल	अर्धनगरीय	3000	4000	200	22 / 27	24 / 29	18 / 20
1003	आऊ	अर्धनगरीय	3000	4000	200	11 / 12	11 / 14	8 / 9
1014	अमवा	ग्रामीण	800	1000	100	11 / 12	11 / 14	8 / 9
1015	ओरहा	ग्रामीण	800	1000	100	7 / 8.5	10 / 11	5.5 / 6.5
1005	अनथुवा	अर्धनगरीय	3000	4000	200	7 / 8.5	10 / 11	5.5 / 6.5
1016	अधरोरी	ग्रामीण	800	1000	100	11 / 12	11 / 14	8 / 9
1017	अजीतपुरा	ग्रामीण	800	1000	100	7 / 8.5	10 / 11	5.5 / 6.5
			800	1000	100	7 / 8.5	10 / 11	5.5 / 6.5

30.11.2013

(मिशन कन्ट्रोल सिटी) अपर विभागाध्यक्ष (वि/न/स) कोटा

अध्यक्ष पहाड़ियारी, मिनाबाग, पिनाबाग


1018	इटरा खुर्द	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1019	इटरा मिलौली	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1020	उतरवां	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1021	उदयपुर	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1022	उमरेहण्डा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1023	ऐचवारा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
0004	कृष्णा नगर	नगरीय	5500	7000	300			
1024	कुरुहू	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1025	कुल्लुखेडा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1026	कुसमा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1027	कन्चौहरा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1028	करगेहना	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1029	खटौरा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1006	खम्हौरा	अर्द्धनगरीय	3000	4000	200	11/12	11/14	8/9
1030	खुरहण्ड	अर्द्धनगरीय	3000	4000	200	8/12	10/12	6/9
1031	खेरिया	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
0005	गांधी नगर	नगरीय	5500	7000	300			
1032	गजपतीपुर कला	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1033	गजपतीपुर खुर्द	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1034	गडांव	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1035	गुमाई	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1036	धुरीडा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1037	धूरी	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1038	चकअमहार	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1039	चकमोचहा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5


Handwritten signature and text in Hindi, including the name 'अपर निवासिपुत्री (वि.प.स.)' and the word 'सर्व'.

Handwritten signature and text in Hindi, including the name 'सहायक पाठ्याभियंता' and the name 'विद्यालय, विद्यापीठ'.

Handwritten text in Hindi, including the name 'विद्यालय' and the name 'विद्यापीठ'.

1040	चकटकुली	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1041	चन्द्रौर	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1042	चन्द्रायल	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1043	चौसड (हस्तपुर खुर्द)	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1044	छततपुर कला	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1045	छिबांव	ग्रामीण	3000	4000	200	8/10	10.5/12	6/7
1046	जखनी	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1047	जबरपुर	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1048	जमरेही	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1049	डढवामानपुर	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1050	डभनी	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1051	डोगरी	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
0006	तिलक नगर	नगरीय	5500	7000	300	7/8.5	10/11	5.5/6.5
0007	तुलसी नगर	नगरीय	7000	9500	300			
1052	तकुली	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1053	तरसूमा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1007	तुरा	अर्द्धनगरीय	3000	4000	200	11/12	11/14	8/9
1054	तेन्दुरा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1055	तेरा (ब)	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1056	तिन्दुही	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1057	थनैर	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
0008	दामुगंज	नगरीय	9000	11000	300			
1058	दुबरिया	अर्द्धनगरीय	3000	4000	200	8/10	10.5/12	6/7
1059	दुरईमाफी	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1009	दिथितवारा	अर्द्धनगरीय	3000	4000	200	11/12	11/14	8/9


 (विजय शर्मा सिंह)
 कार्य निष्ठाकारी (वि/ए/एड)
 जिला


 (विजय शर्मा सिंह)
 कार्य निष्ठाकारी (वि/ए/एड)
 जिला

1060	नदना	ग्रामीण	1500	2000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1061	नाई	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1062	नगनेधी	ग्रामीण	1500	2000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1008	नगवारा	अर्द्धनगरीय	3000	4000	100	11/12	11/14	8/9
1063	नांदनमऊ	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1064	प्रतापपुर	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1065	पवाई	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1066	पुनाहुर	ग्रामीण	1000	1200	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1067	पाहाडी खुर्द	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1068	पारा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1069	पालपुर	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1070	पौहार	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1071	पिडखर	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
0009	बजरग नगर	नगरीय	7000	9500	300			
0010	राउर बाजार	नगरीय	9000	11000	300			
0011	ग्रहनगर	नगरीय	7000	9500	300			
1072	बघेलाबारी	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1073	बदौसा	ग्रामीण	3000	4000	200	8/10	10/11	5.5/6.5
1074	बनई	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1075	बम्बुरा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1076	बेरहणडा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1077	बरछा ब	ग्रामीण	3000	4000	200	8/10	10/11	5.5/6.5
1078	बरछा डडिया	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1079	बरसडा बुजुर्ग	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1080	बरसडा खुर्द	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5

13/10/2013

(विषय बसुदे सिंह)
जगर विकासिकारी (वि०/रा०)
बौवा।

महाराष्ट्र प्रदेश
विशेष, किला-बिला

13/10/2013

(22)

0018	लखन कालोनी	नगरीय	9000	11000	300			
1096	लखनपुर	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1097	लमरेहटा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1098	लोधौरा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
0019	संजय नगर	नगरीय	8000	10000	300			
0020	सुभाष नगर	नगरीय	9000	11000	300			
0023	सुदामापुरी	नगरीय	5500	7000	300			
0024	शिवपुरी	नगरीय	5500	7000	300			
0021	शास्त्री नगर	नगरीय	5500	7000	300			
0022	सुलक थोक	नगरीय	5500	7000	300			
0025	सिविल लाइन	नगरीय	5500	7000	300			
1099	शाहपुरसानी	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1100	शिवहद	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1101	सिकलोढी	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1102	सहेवा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1013	सेमरिया कुशल	अर्द्धनगरीय	3000	4000	200	11/12	11/14	8/9
1103	सेमरिया जदीद	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1104	सेमरिया भिर्दहा	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1105	संग्रामपुर	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1106	सिहपुरमाफी	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1107	हस्ताम	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5
1108	हडहामाफी	ग्रामीण	800	1000	100	7/8.5	10/11	5.5/6.5

(विषय सम्बन्धी)
जपर निमापनरी (निर्माण)
कोष।


(विषय सम्बन्धी)
निष्पन्न, विद्यापीठ


भाग-3**प्रारूप-5**

क- गैर वाणिज्यिक भवनों की विभिन्न श्रेणी के निर्माण की दरें:-

क्र० सं०	निर्माण की श्रेणी छत के आधार पर	निर्माण की अधिर्षता आयु	प्रथम श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर	द्वितीय श्रेणी के निर्माण की दर कवर्ड एरिया के अनुसार प्रति वर्गमीटर
1	2	3	4	5
1	आर०सी०सी०	80 वर्ष	8000	7000
2	आर०बी०सी०	60 वर्ष	7000	6500
3	कडी, गर्डर पटिया, डाट	50 वर्ष	6000	5000
4	टिनशेड, एस्बेसटस शेड, फाइबर शेड	40 वर्ष	4500	4000
5	कच्चा, छप्पर, खपरैल	30 वर्ष	4000	3500


अ. नं. 1/2017
अ. नं. 1/2017
वि. नं. 1/2017


अ. नं. 1/2017
वि. नं. 1/2017


2017.223
(वि. नं. 1/2017)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बोदा।

(27)

प्रथम श्रेणी निर्माण का तात्पर्य यह है कि उसमें दरवाजे खिड़की में मंहगी लकड़ी तथा शीशम, सागौन, देवदार या कम्प्रेस्ड वाटरप्रूफ बोर्ड या मेटल का प्रयोग हुआ हो। फर्श मारबल, स्टोन, वटीफाइड टाइल्स के प्रयोग से बनाया गया हो।

द्वितीय श्रेणी के निर्माण का तात्पर्य यह है कि जो प्रथम श्रेणी का निर्माण न हो।

गैर वाणिज्यिक भवनों का मूल्य निम्नांकित तरीके से निकाला जा सकेगा—

भवन का कुल मूल्य = भवन में निहित भूमि (मय खुली भूमि के) का मूल्य इस सूची के भाग-2 3 या 4 में दी गयी सुसंगत दर के अनुसार + भवन का निर्माण मूल्य


भवन का निर्माण मूल्य = भवन का पुर्नस्थापना मूल्य से मूल्य ह्रास घटाइये


भवन का पुर्नस्थापना मूल्य = भवन का कुल कवर्ड एरिया X इस सूची में दी गयी निर्माण की सुसंगत दर मूल्य ह्रास = भवन का पुर्नस्थापन मूल्य X भवन की वर्तमान आयु X 9


भवन की अधिवर्षता आयु X 10

नोट:— यदि भवन की वास्तविक वर्तमान आयु इस सूची में दी गयी न्यूनतम अधिवर्षता आयु से अधिक है तो वही आयु अधिवर्षता आयु भी मानी जायेगी। किसी भी दशा में मूल्यह्रा 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। भवन का स्क्रैप मूल्य 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। यदि भवन की आयु केवल 20 वर्ष या उससे कम है तो ऐसे भवन पर कोई मूल्य ह्रास अनुमन्य नहीं होगा।


[Illegible text]


[Illegible text]


30.7.13
(विजय बहादुर सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०)
बोधा।


31/7/13
Collector
(वि० रा० नरीप बुनार)
L.A.S.
जिलाधिकारी
बोधा